17-1-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वादी द्वारा लगभग 1 वर्ष से नप्ती हेतु तलवाना सम्मन पेश नहीं किये हैं इससे जाहिर है कि वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है अतः वादीगणों का वाद O9R-2 में खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर से जमा हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी साँभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner